Annexure - LIII

संख्या 624 / XXXI(13)G / 2006–52(35)

प्रेषक,

एस0राजू
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

डा0 आर0एस0 टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूंचना आयोग,
सेक्टर–1, सी–10
डीफेन्स कालोनी, देहरादून।

सामान्य प्रशासन अनुभाग दिनांक अप्रैल 2007

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1018 / 56 / उ0सू0आ0 / 2007, दिनांक 5 मार्च 2007 का संदर्भ ग्रहण करें। राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन के अंत में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए 9 संस्तुतियां की गयी है। इन संस्तुतियों के सापेक्ष, शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय

(एस0राजू)
सचिव

संख्या ..... / XXXI(13)G / 2006–52(35) / 06 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञान के लिए।

(एस0राजू)
सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन के अंत में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए कुछ संस्तुतियां की गयी हैं। इन संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है।

क्र.स.	संस्तुति	कार्यवाही
1.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रख्यापित उत्तम व्यवहार संस्तुतियों को राज्य सरकार समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करें और प्रत्येक शासन स्तरीय लोक प्राधिकारी से अपेक्षा करें कि वह इन संस्तुतियों का अपने–अपने स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक समय सारणी बनायें और उपरोक्त समय सारणी के अनुसार प्रगति की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग/नोडल विभाग द्वारा मासिक रूप से करे तथा उसे मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाय।	अपनी पहली संस्तुति में आयोग ने प्रख्यापित उत्तम व्यवहार संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन की अपेक्षा की है। उत्तम व्यवहार की दिशा में 12 विषयों के 52 बिन्दुओं पर कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इनमें अधिकांश बिन्दुओं पर शासन द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है–जैसे सभी विभागों द्वारा लोक प्राधिकारी इकाईयों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। लोक सूचना हस्तपुस्तिकायें (Manuals) बनाये जा रहे हैं। प्रायः सभी विभागों द्वारा लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील प्राधिकारियों का नामांकन किया जा चुका है। अधिकांश कार्यालयों में सूचना पट व आवेदन शुल्क प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। प्रायः सभी लोक प्राधिकारी इकाईयां अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त संदर्भों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा की गई है और विभागीय अधिकारियों को अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। तथापि कुछ बिन्दुओं पर अभी कार्यवाही की जानी है जिसके लिए शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। शासन द्वारा प्रख्यापित 22 मार्च 2006 व 5 मार्च 2007 के प्रक्रिया निर्धारण व क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश इस दिशा में किये जा रहे सतत् प्रयास के द्योतक हैं।
2.	प्रत्येक विभाग/लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धार 4 में प्राविधानित 17 बिन्दुओं पर मैनुअलों के निर्माण कार्य और उसके निर्माणोपरान्त आयोग द्वारा अनुमोदन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लें और उसे विलम्बतम् अगले 6 माहों में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभी तक 84 विभागों/लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक सूचना हस्तपुस्तिकायें (Manuals) बनाये जा चुके हैं और उन्हें सूचना आयोग में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिन लोक प्राधिकारियों द्वारा अभी मैनुअल्स नहीं बनाये गये हैं उनसे शीघ्र कार्यवाही के लिए सचिव महोदय द्वारा 15 फरवरी को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब तक शासन व विभागाध्यक्ष स्तर (राज्यस्तर) के प्रायः सभी लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा अपने manuals तैयार किये जा चुके हैं। अब कुछ अधीनस्थ कार्यालयों व मण्डल जनपद स्तरीय लोक प्राधिकारियों के manuals बनाने शेष हैं जो शीघ्र पूरा हो जायेगा।

3.	राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर पर सूचना का अधिकार के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अवस्थापना की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार लेते हुए उसके लिए आवश्यक बजट और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाय।	राज्य सराकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर तक सूचना का अधिकार के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है। सभी स्तरों पर यथा उचित लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील प्राधिकारियों का नामांकन किया जा चुका है और उनके द्वारा सूचना के अनुरोधों के निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। संसाधनों की सुलभता के अनुसार अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।
4.	सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रत्येक विभाग की तैयार की जा रही प्रक्रिया संबंधी विभागीय मैनुअल का अनिवार्य भाग बनाया जाय और इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रत्येक विभाग के विभागीय मैनुअलों के माध्यम से भी अंगीकृत करके क्रियान्वित किया जाय। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय मैनुअल से इस व्यवस्था को प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक विभाग के मैनुअल में सूचना का अधिकार अधिनियम को यथावत रखते हुए उसे विभागीय प्रक्रिया का भाग बना दिया जाय।	सभी लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा सूचना आयोग के सुझाव के अनुसार अपनी लोक सूचना हस्तपुस्तिकाओं (Manuals) में सूचना का अधिकार अधिनियम को सम्मिलित किया जा रहा है। जो लोक प्राधिकारी इकाईयां अभी मैनुअल्स तैयार कर रही हैं उन्हें भी इस सम्बन्ध सूचित किया जायेगा।
5.	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपील अधिकारियों की एक निदर्शिनी अविलम्ब तैयार करने और उसकी प्रतियां विभिन्न कार्यालयों को इस प्रकार उपलब्ध करायी जाय जिससे प्रदेश में किसी भी स्थान से इसकी जानकारी जन सामान्य को प्राप्त हो सके कि विभाग में लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी कौन हैं। निदर्शिनी की एक प्रति वेबसाइट और उत्तरा पोर्टल पर भी उपलब्ध रहे।	शासन द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों व विभागीय अपील प्राधिकारियों की निदर्शिनी पहले ही तैयार कर दी गयी है। इसमें अब तक 212 लोक प्राधिकारियों से विवरण प्राप्त हुआ है। यह निर्दर्शिनी उत्तराखण्ड शासन की वेबसाई www.ua.nic.in के Right to Information पोर्टल पर उपलब्ध है। अभी कुछ और लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होनी है उनको दिनाक 15 फरवरी, 2007 को अनुस्मारक पत्र लिखा गया है। इस वर्ष के अंत तक लोक सूचना अधिकारियों की अद्यतन निर्देशिका प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है।
6.	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों और समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों के अतिरिक्त सचिवालय और सभी निदेशालय मुख्यालयों को सूचना का अधिकार सुविधा केन्द्र के (RTI Facilitation Centre) के रूप में विकसित किया जाय और इसके लिए	राज्य व जिला मुख्यालय स्तरों पर सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में शासनादेश, दिनांक 5 मार्च 2007 मे भी उल्लेख किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों व जिला अधिकारियों से विचार–विमर्श तथा प्रस्ताव के वित्तीय व व्यावहारिक पक्षों पर विचार–विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जायेगा।

	संबन्धित विभाग को आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जाय।	
7.	उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल के मार्गदर्शन और नेतृत्व मे समस्त विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबन्ध में विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक वार्षिक कलेण्डर तैयार किया जाय और वार्षिक कलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सीधे प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की जाय जिससे कि पूरे प्रदेश के समस्त कार्मिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी समस्त बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त हो सके। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में समय समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशालायें आयोजित करके अनुभव हो रही कठिनाईयों के संबन्ध में आवश्यक उपाय भी किये जायें।	विभागीय अधिकारियों की सूचना के अधिकार विषय पर विभाग स्तर पर जागरूकता कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। राज्य सूचना आयोग के सुझाव के अनुसार सभी प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ इस विषय पर उचित विचार–विमर्श के बाद सूचना के अधिकार विषय पर नियमित प्रशिक्षण आयेाजित करने हेतु यथाशीघ्र एक कार्ययोजना तैयार कर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8.	बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए ओर जनहित में आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः अल्मोड़ा और श्रीनगर पौड़ी में भी स्थापित करके उन्हें अविलम्ब सक्रिय किया जाय।	सूचना आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं। इस प्रस्ताव पर आवश्यकता, औचित्य एवं वित्तीय व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत शीघ्र यथोचित निर्णय लेकर आयोग को सूचित कर दिया जायेगा।
9.	राज्यसभा और मा. उच्च न्यायालय के स्तर पर नियमावलियों के प्रख्यापन के संबंध में शासन स्तर पर इसका शीघ्र अनुश्रवण किया जाय।	विधान सभा व मा0 उच्च न्यायालय के स्तर पर नियमावलियों की अधिसूचना निर्गत किये जाने हेतु इन दोनों सक्षम पदाधिकारियों से शासन स्तर से अनुरोध व अनुश्रवण किया जायेगा।

कुछ बिन्दुओं यथा लोक प्राधिकारियों इकाईयों को पृथक से अधिसूचित करनें, सभी विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार विषय को सम्मिलित करने अधिनियम, के अंतर्गत अभिलेखों व निर्माण कार्यों के निरीक्षण व प्रमाणित नमूने लेने की प्रक्रिया तय करने व विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों में अभिलेख सुलभ कराने के लिए पूर्व में प्रख्यापित मूल्य दरों को सुसंगत करने आदि विषयों पर कार्यवाही गतिमान है। इन पर शीघ्र कार्यवाही पूरी कर सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जायेगा।